	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509&223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

के.रा.फा./सूरत./2–271/जूली./2021–22/ दिनांकः18.8.2021.

अल्पकालीन–निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बायोमॉस के माध्यम से अक्षय विधुत उत्पादन करनें वाली इच्छुक कम्पनियों को फार्म से जूलीफ्लोरा कुत्तर आपूर्ति करना प्रस्तावित है। अतः बॉयोमास के माध्यम से अक्षय विद्युत उत्पादन करनें वाली कम्पनियों को फार्म से जूलीफ्लोरा कुत्तर की खरीद करनें हेतु दिनॉंक 27.8.2021 को दोपहर 2.00 तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो कि दिनॉंक 27.8.2021 को दोपहर 2.30 खोली जायेगी। वर्ष 2021–22 में संबंधित कम्पनियों को आपूर्ति किये जानें वाली जूलीफ्लोरा कुत्तर की मात्रा का अनुमानित वजन 50000 कुंटल से 1 लाख कुंटल हो सकता है। उपरोक्त निविधा में भाग लेने के निविदादाता को रु 1180/– टेंडर फीस व रु.1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) का बैक डिमान्ड–ड्राफ्ट/RTGS/NEFT/Online जो कि **नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, सूरतगढ** के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ (फार्म का खाता नं0 **34056542572, IFSC कोड नम्बर SBIN0007774)** पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्ते किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कार्यालय से ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है।

प्रबन्धक (उ.)
कृते निदेशक(फार्म)

	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

के.रा.फा./सूरत./2-271/जूली./2021-22/ दिनांकः 18.08.2021.

फार्म द्वारा सम्बन्धित पार्टी को आपूर्ति किए जाने वाले जूलीफ्लोरा कुत्तर बाबत् नियम-शर्ते

1. निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय मे धरोहर राशि रूपये1,00,000/- मात्र का डिमान्ड-ड्राफ्ट/**RTGS/NEFT/Online** के रूप में जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ के नाम देय हो, फार्म खंजाची के पास निविदा सूचना दर्शायी गई दिनांक व समय पर जमा करवाने होगें। तभी निविदा प्रपत्र मान्य होगें। अन्य किसी प्रकार से विभिन्न पत्र जैसे बिल या प्रतियां स्वीकार नही होगी।
2. फार्म के खण्डों में तैयार लगभग 50000 से 1 लाख कुंटल तैयार जूलीफ्लोरा कुत्तर को फार्म अपनें स्तर पर पार्टी द्वारा बताये गंतव्य पर आपूर्ति करेगा । वर्ष भर निविदादाता फार्म द्वारा प्रदत्त उक्त जूलीफलोरा कुत्तर निर्धारित दरों पर अंतग्रहण हेतू बाध्य होगा। आपूर्तित मात्रा घट/बढ़ भी सकती है।
3. फार्म द्वारा जूलीफ्लोरा कुत्तर की आपूर्ती केवल एक गंतव्य व फार्म से अधिकतम 200 कि.मी. दूरी तक ही की जायेगी।
4. फार्म पार्टी द्वारा दर्शाये गंतव्य पर सुबह 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक आपूर्ति करेगा।
5. पार्टी द्वारा ऑफर रेट को स्वीकार व अस्वीकार करनें निर्धारण का अधिकार फार्म के पास सुरक्षित रहेगा एवं पार्टी द्वारा प्रदत आफर रेट को स्वीकार व अस्वीकार करते समय फार्म से गंतव्य की दूरी और नमी को ध्यान में रखकर आंकलन किया जायेगा।
6. सम्बन्धित पार्टी जूली -फ्लोरा की कुत्तर (वेस्ट मेटिरियल) को तुलाई एवं निर्धारित नमी प्रतिशत देखनें के उपरान्त तुरन्त फार्म बैक अकान्उट में RTGS/NEFT माध्यम से निर्धारित दरों के अनुसार राशि जमा करवायेगी।
7. जुलीफलोरा आपूर्ती हेतू रेट कॉन्ट्रेक्ट की अवधि वर्ष 2021-22 तक रहेगी। जो कि आपसी सहमति से बढाई जा सकती है।
8. सफलनिविदादाता को रू.100000/- सुरक्षानिधि के तौर पर फार्म खाते में जमा करानी होगी, जो कि संतोषजनक कार्य पूरा होने पर ही बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
9. जमा धरोहर राशि कार्य के संतोषजनक पूरा होने पर ही बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
10. जुलीफलोरा आपूर्ती हेतू उन निविदादाताओ को प्राथमिकता दी जायेगी जो बॉयोमास से अक्षय उर्जा उत्पादन का कार्य करते है।
11. कफ्र्यू एंव प्राकृतिक आपदा की स्थिती में गंतव्य तक जूलीफ्लोरा कुत्तर आपूर्ती हेतू फार्म बाध्य नही होगा व किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेवारी फार्म की नही होगी।
12. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तो को करार के रुप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा।
13. ऊपर दिए गये परिदिष्ट में किसी भी प्रकार के नियमों की परिभाषा, व्याख्या/वर्णन/अनुवाद निर्देशक केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ द्वारा दी जाएगी जो स्र्व मान्य होगी।

14- यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।